रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233768
CG-DL-E-28022022-233768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
No. 831] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 861(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में डाक द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को अग्रेषित कर सकता है या मंत्रालय के ई-मेल पते: ragavan.p@gov.in; gupta.dharmendra@gov.in पर प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण और नगर परियोजनाओं की जांच करने तथा उनकी अनुशंसा करने हेतु दिनांक 29.01.2021 के कार्यालय आदेश सं. 19-04/2021-आईए.।।। के तहत एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

और, उक्त विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्यों के मौजूदा स्थानीय उपनियमों के साथ-साथ मौजूदा विनियामक व्यवस्था की जांच की थी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित विनियम के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

और, पर्यावरण के प्रभावकारी संरक्षण और प्रबंधन के प्रयोजन से, मानकीकृत, परिणाम-आधारित और परिमाण-निर्धारणीय पर्यावरणीय विनियम बनाना आवश्यक माना जाता है ताकि दृष्टिकोण में पारदर्शिता लगाई जा सके और व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहित किया जा सके;

और, विनियामक ढांचे के समग्र अधीक्षण को केन्द्रीय सरकार के पास संधारित करते हुए हरित प्रमाणनों को प्रोत्साहित करके और शासन के विभिन्न स्तरों पर विनियामक एजेंसियों की मौजूदगी को सुदृढ़ करके तीसरे पक्ष की जांचों के माध्यम से निगरानी तंत्र को विस्तारित करना भी आवश्यक समझा जाता है;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित विनियम अधिसूचित करती है:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

i. इन विनियमों को **भवन निर्माण पर्यावरण प्रबंधन विनियम, 2022** कहा जाएगा।

ii. ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इस अधिसूचना में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों को निम्नवत् परिभाषित किया जाता है :

1. ब्लैक वाटर- मल-मूत्र के संदूषण से मिश्रित धुंधला जल।
2. भवन- मनुष्य के रहने के लिए उपयोग किए जाने के प्रयोजन, व्यावसायिक प्रयोजन आदि से किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्मित संरचना जिसमें औद्योगिक भवन और परिसंकटमय कार्यकलापों से संबंधित भवन शामिल नहीं है।
3. धुंधला जल- घरों या कार्यालयों भवनों से निस्सरित अपशिष्ट जल जिसमें मल-मूत्र का संदूषण नहीं है।
4. परिसंकटमय कार्यकलापों से संबंधित भवन- इसमें इन प्रयोजनों से प्रयुक्त भवन या उसका हिस्सा शामिल है:

   i. रेडियोऐक्टिव पदार्थों या अत्यंत दहनशील या विस्फोटक सामग्रियों का अथवा ऐसे उत्पादों, जो अत्यंत शीघ्रता से जलते हैं और/या विषैला धुंआ उत्पन्न करते हैं या विस्फोटक उत्सर्जन करते हैं, का भंडारण, हथालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण।

   ii. ऐसे पदार्थों, जिनमें अत्यंत क्षयकारी, विषाक्त या हानिकारक क्षार, अम्ल अथवा अन्य द्रव, गैस या आग, धुआं और विस्फोटक मिश्रण आदि उत्पन्न करने वाले रसायन शामिल हैं अथवा जिनके कारण पदार्थ का स्वत: जलने में सक्षम सूक्ष्म कणों में विभाजन होता है, का भंडारण, हथालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण।

5. औद्यौगिक भवन – इसमें ऐसा भवन अथवा उसका हिस्सा शामिल है जिसमें उत्पाद या सामग्री को निर्मित, संयोजित या प्रसंस्कृत किया जाता है, जैसे-संयोजन संयंत्र, प्रयोगशालाएं, विद्युत संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, गैस संयंत्र, मिल, डेयरी और कारखाने आदि।

6. परियोजना प्राधिकरण – परियोजना के निर्माण, प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी निवासी कल्याण संघ सहित कोई निकाय, जिस किसी नाम से जाना जाए, जिसे कार्य-संचालन के दौरान परियोजना के अनुरक्षण एवं देखरेख का दायित्व सौंपा गया है।

7. वर्षा जल बहाव आयतन- भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) ग्रीन होम्स रेटिंग सिस्टम वर्जन 3.0, 2019 में यथापरिभाषित।

8. तृतीयक शोधन – उच्च गुणवत्ता का, उपयोज्य जल तैयार करने हेतु हानिकारण पदार्थ को हटाने के लिए पहले ही प्राथमिक और/या द्वितीयक प्रक्रियाओं से शोधित किए गए जल को विसंक्रमित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया।

9. अपशिष्ट जल- घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक या कृषि कार्यकलापों के किसी भी संयोजन से निस्सरित प्रयुक्त जल, सतह से बहाया गया जल या तूफानी जल और मल जल अंत:प्रवाह या मल जल अंत:स्यन्दन और इसमें धुंधला जल और ब्लैक वाटर शामिल है।

3. विनियम की अनुप्रयोज्यता

(1) ये विनियम ऐसी परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनमें $\geq$ 5000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र वाले भवनों का निर्माण शामिल हो।

(2) ये विनियम नई भवन परियोजनाओं और पुराने/मौजूदा भवनों के विस्तार/जीर्णोद्धार/मरम्मत संबंधी परियोजनाओं पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम किसी अन्य अधिनियम/नियम/विनियम/उपनियम/अधिसूचना आदि के तहत प्राप्त किए जाने हेतु अपेक्षित अनुमोदनों/सहमति/अनुमतियों आदि को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। परियोजना प्राधिकरण केन्द्रीय या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य अधिनियमों/विनियमों या संविधियों अथवा उनके द्वारा नामोद्दिष्ट एजेंसियों/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों, परियोजना पर जो लागू हो, के विनियमों के तहत अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु बाध्य रहेगा, जिनमें निम्न क्षेत्र, प्राकृतिक जल-निकास और पर्यावरणीय संवेदनशीलता अर्थात् पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, जोनल मास्टर प्लान/वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों, जैव-मंडल रिजर्वों और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, आपदा प्रवण क्षेत्रों से निकटता/उनके भीतर परियोजना की स्थिति जैसे मापदण्डों को ध्यान में रखकर परियोजना की स्थिति के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन/स्वीकृतियां शामिल हैं।

(4) किन्हीं अन्य विनियमों, उप-नियमों आदि से असंगति के मामले में, वे प्रावधान लागू होंगे जो अधिक कठोर हों।

4. मौजूदा या साझा अवसंरचना को उन्नत बनाना :

(1) संबंधित मामलों में निर्धारित विनियमों के अनुपालन हेतु परियोजना प्राधिकरण के उत्तरदायी रहने की शर्त के अधीन, परियोजनाओं को चयनित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध मौजूदा या साझा अवसंरचना को उन्नत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, यदि किन्हीं कारणों से, चाहे परियोजना प्राधिकरण के कारण या अन्यथा, उक्त व्यवस्था विफल हो जाती है अथवा उसके परिणामस्वरूप इसमें अधिसूचित किन्हीं विनियमों का उल्लंघन होता है, तो परियोजना प्राधिकरण को उन विनियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

i. **मलजल शोधन संयंत्र :** परियोजना प्राधिकरण अपशिष्ट जल के शोधन हेतु साझा एसटीपी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए संविदात्मक करार कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी व्यवस्था में शोधित अपशिष्ट जल को पुन: उपयोग हेतु संबंधित भवनों तक वापस लाने की पुनर्चक्रण प्रणाली की स्थापना के साथ-साथ अपशिष्ट जल को एसटीपी तक पहुंचाने हेतु मलजल नेटवर्क की आवश्यक अवसंरचना (ट्रंक सीवर, पम्पिंग स्टेशन आदि) का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी सुविधाओं के लिए, अशोधित और शोधित अपशिष्ट जल का परिमाण निर्धारित करने हेतु उचित मीटरिंग प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ii. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा तत्पश्चात् उनमें किए गए अनुवर्ती संशोधनों के प्रावधानों के लागू किए जाने के अधीन, परियोजना प्राधिकरण अलग-अलग किए गए ठोस अपशिष्ट को संबंधित स्थानीय निकाय को सुपुर्द कर सकता है, यदि नगरपालिका के पास कूड़ा उठाने का तंत्र मौजूद है। यदि ऐसी व्यवस्था यथेष्ठ न हो या उपलब्ध न हो, तो परियोजना प्राधिकरण पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को उठाने हेतु पेशेवर अपशिष्ट प्रबंधन संगठन को विनियोजित करेगा।

5. भवन निर्माण हेतु पर्यावरणीय विनियम :

(1) परियोजना प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के निर्माण एवं कार्य-संचालन चरणों के दौरान निम्नलिखित पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन किया जाए :

क. **स्थलाकृति और प्राकृतिक जल-निकास**

1. जल का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु परियोजना स्थल पर प्राकृतिक जल-निकास अनुरक्षित किया जाना चाहिए।
2. नमभूमि और जल-निकायों में किसी निर्माण-कार्य की अनुमति नहीं है।
3. परियोजना स्थल में और उसके आस-पास जल-निकास को तूफानी जल-निकास प्रणाली, 2019 संबंधी सीपीएचईईओ मैनुअल के अनुसार प्रबंधित किया जाना चाहिए।
4. मृदा अपरदन के नियंत्रण उपायों को निर्माण से पहले, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद में किया जाना चाहिए तथा इसे भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016 में उल्लिखित सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए।

ख. **वर्षा जल संचयन/भू-जल पुनर्भरण के माध्यम से जल संरक्षण विधियों को अपनाना ।**

5. केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन लिए बिना परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भू-जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
6. जिन क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण संभव नहीं है, वहां वर्षा जल संचयन संबंधी स्थानीय उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार वर्षा जल का संचयन और पुन:उपयोग के लिए भंडारण किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय उप-नियम के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं, तब आवासन और शहरी विकास मॉडल भवन उप-नियम, 2016 के अनुसार भंडारण और पुनर्भरण के प्रावधान का अनुपालन किया जाना चाहिए।
7. छत के ऊपर और छत से इतर क्षेत्रों में वर्षा जल संचय की योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी ताकि छत और छत से इतर क्षेत्रों से कम से कम 'एक दिन के वर्षा जल बहाव की मात्रा' को इस ढंग से संचित किया जाए कि भू-जल के संभावित संदूषण को रोका जा सके।

एक दिन में हुई वर्षा का परिमाण, नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार ''भारी वर्षा वाले माह की वर्षा की औसत प्रतिशतता'' से आकलित किया जा सकता है :

तालिका-1 –'एक दिन की वर्षा' का आकलन करने हेतु मानदंड

क्र.सं.	भारी वर्षा वाले माह की औसत वर्षा	एक दिन की वर्षा (भारी वर्षा वाले माह की वर्षा का औसत %)
1.	250 तक	9%
2.	251-350	7.5%
3.	351-500	6%
4.	501-700	4.5%
5.	701 और उससे अधिक	3%

(संदर्भ : आईजीबीसी ग्रीन होम्स रेटिंग सिस्टम –वर्जन 3.0, 2019)

टिप्पण : भारी वर्षा वाले माह की औसत वर्षा का अनुमान लगाने हेतु, परियोजना के स्थान पर कम से कम गत 5 वर्षों में भारी वर्षा वाले माह में हुई वर्षा के औसत पर विचार किया जाएगा।

8. संचित वर्षा जल की भंडारण क्षमता एक दिन में कुल स्वच्छ जल की न्यूनतम आवश्यकता की मात्रा के समतुल्य होनी चाहिए।
9. खुले स्थानों में न्यूनतम 20% स्थान जल के प्रवेश योग्य होगा। कम से कम 50% खुले स्थान के साथ घास की सतहों, पेवर ब्लॉकों के उपयोग को भी प्रवेश योग्य सतह के रूप में माना जाएगा।

ग. दोहरी पाइपलाइन प्रणाली द्वारा सीवेज/अपशिष्ट जल का प्रबंधन, शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण

10. दोहरी पाइपलाइन प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी – एक पीने, खाना पकाने और नहाने आदि के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु और दूसरी फ्लश करने के लिए शोधित जल की आपूर्ति हेतु।
11. फ्लशिंग के लिए केवल शोधित जल का उपयोग किया जाएगा।
12. किसी भी स्थिति में, परियोजना क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले सीवेज या अशोधित अपशिष्ट जल को तूफानी जल निकास प्रणाली के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से जल निकायों में अथवा भूमिगत जल में छोड़ा/स्त्रावित नहीं किया जाएगा।
13. इस अधिसूचना के खण्ड (3) के अधीन, परियोजना प्राधिकारी फ्लशिंग और अन्य न पीने योग्य पानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से शोधित जल की समान मात्रा के संबंध में पुन:उपयोग और पुन:चक्रण सहित शोधन के लिए, जैसा व्यवहार्य हो, साझा ऑफ-साइट शोधन सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं।

क. 5000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए-

i. उन क्षेत्रों में जहां नगर पालिका कोई सीवेज नेटवर्क नहीं है,

क. या तो, 100 प्रतिशत अपशिष्ट जल शोधन की क्षमता सहित आन सॉइट सीवेज शोधन प्रणाली को काले-भूरे गंदे पानी को रोगाणुमुक्त करने सहित उपयुक्त तीन बारगी शोधन प्रणाली के साथ स्थापित किया जा सकता है। ऐसे शोधित जल को फ्लशिंग और अन्य न पीने योग्य पानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली सहित उपयोग किया जाएगा;

या

ख. सेप्टिक टैंक के उपयोग के मामले में, सैप्टिक टैंक में केवल काला पानी छोड़ा जाएगा। भूरे पानी को प्राकृतिक शोधन प्रणालियों या अन्य सहायक शोधन प्रणालियों; जैसा भी संभव हो, के माध्यम से शोधित किया जाएगा। ऐसे शोधित जल को फ्लशिंग और अन्य न पीने योग्य पानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली के साथ उपयोग किया जाएगा;

अतिरिक्त शोधित जल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सामान्य निर्वहन मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।

ii. उन क्षेत्रों में जहां नगर पालिका सीवेज नेटवर्क है,

क. या तो, 100 प्रतिशत अपशिष्ट जल शोधन की क्षमता सहित आन सॉइट सीवेज शोधन प्रणाली को काले-भूरे गंदे पानी को रोगाणुमुक्त करने सहित उपयुक्त तीन बारगी शोधन प्रणाली के साथ स्थापित किया जा सकता है। ऐसे शोधित जल को फ्लशिंग और अन्य न पीने योग्य पानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली सहित उपयोग किया जाएगा;

या

ख. परियोजना प्राधिकारी मुख्य सीवर लाइन की उपलब्धता के अधीन ऐसे नगर पालिका सीवेज नेटवर्क में केवल काले गंदे पानी को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, दो अलग पाइप लाइन नेटवर्क – पहली काले पानी के निर्वहन के लिए तथा दूसरी भूरे पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्थापित किए जाएंगे। भूरे पानी को प्राकृतिक शोधन प्रणालियों या अन्य सहायक शोधन प्रणाली, जैसा भी संभव हो, के माध्यम से शोधित किया जाएगा। ऐसे शोधित जल को फ्लशिंग और अन्य न पीने योग्य पानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली के साथ उपयोग किया जाएगा;

ग. 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए-

14. इस अधिसूचना के खण्ड (3) के अध्यधीन, तृतीयक शोधन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के भीतर सृजित अपशिष्ट जल के 100 प्रतिशत शोधन की क्षमता वाले, कार्य स्थल पर मल-जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। शोधित अपशिष्ट जल का कार्य स्थल पर पुनर्उपयोग भू-दृश्य, फ्लूशिंग, एचएवीसी, अग्निशमन कार्यों, और अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाएगा।

15. किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ द्वारा मल-जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) की पर्याप्तता का प्रमाणन किया जाएगा और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्राधिकृत अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

16. एसटीपी में शोधन के पश्चात, परिसर के बाहर, अधिक शोधित अपशिष्ट जल का निस्सरण समय-समय पर सीपीसीबी/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित निस्सरण मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

17. मापन/उप-मापन के माध्यम से अपशिष्ट जल और शोधित जल परिमाणन प्रणाली संस्थापित की जाएगी।

18. मल-प्रवाह और मल-जल शोधन प्रणाली के संबंध में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मैन्युअल के अनुसार कार्य स्थल पर मल-जल शोधन से प्राप्त गाद का एकत्रण, वहन और निपटान किया जाना चाहिए।

19. जहां भी साझा मल-जल शोधन संयंत्र की सुविधा का उपयोग किया गया है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शोधित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया गया है और पुनर्उपयोग हेतु संबंधित भवन को भेज दिया गया है।

घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

20. इस अधिसूचना के खण्ड (3) के अध्यधीन, कार्य स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा विकसित की जानी चाहिए और सभी गैर जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के निपटान के लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रक/संबंधित नगरीय अभिकरण के साथ एक औपचारिक संविदात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

21. इस अधिसूचना के खण्ड (3) के अध्यधीन, जहां जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, 150 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र/1.0 किलोग्राम प्रतिदिन की न्यूनतम क्षमता वो जैविक अपशिष्ट खाद बनाने वाले/ कृमि संवर्धन (वर्मीकल्चर) गड्ढा प्रतिष्ठापित और प्रचालित किए जाने चाहिए।

च. हरित आवरण

22. भू-खण्ड के कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र को वृक्ष आवरण के तहत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि के लिए कम से कम एक (01) वृक्ष लगाया जाना चाहिए और उसका रखरखाव किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विद्यमान वृक्षों की गणना की जाएगी।

23. भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाह्य सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में अधिकतम 20 सेंटीमीटर गहराई तक मृदा की ऊपरी सतह को हटाना चाहिए। इस मृदा को निर्धारित क्षेत्रों में उपयुक्त रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए तथा स्थल पर प्रस्तावित वनस्पति को उगाने के समय पुन:उपयोग करना चाहिए।

छ. निर्माण चरण के दौरान धूल/वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन

24. भवन के साथ-साथ उस स्थान के लिए धूल, धुआं और अन्य वायु प्रदूषण रोकथाम के उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन के लिए स्क्रीन, स्थल के चारों ओर लगातार धूल/हवा रोकने वाली दीवारें (कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई) शामिल होनी चाहिए।

25. रेत, सीमेंट, मुर्रम और अन्य निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों जिससे स्थल पर धूल प्रदूषण हो सकता है के लिए प्लास्टिक / तिरपाल शीट कवर प्रदान किया जाएगा और साथ ही स्थल से मलबे को बाहर निकाला जाएगा।

26. वाहनों के पहियों की धुलाई की जानी चाहिए। (20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए)

27. धूल प्रदूषण को रोकने के लिए स्थल पर भण्डारित रेत, मुर्रम, खुली मिट्टी, सीमेंट को पर्याप्त रूप से कवर किया जाएगा।

28. ग्राइंडिंग और स्टोन कटिंग के लिए वेट जेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। धूल को दबाने के लिए कच्ची सतहों और खुली मिट्टी पर पर्याप्त रूप से पानी छिड़का जाना चाहिए।

29. सभी निर्माण और विध्वंस मलबे को स्थल पर संग्रहीत किया जाएगा (और बाहर सड़कों या खुले स्थानों पर नहीं डाला जाएगा) जब तक उनका उचित निपटान न किया जाए।

30. बढ़ते प्रदूषण भार का आकलन करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की जाएगी।सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण और संचालन चरण के दौरान ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

ज. बिजली आपूर्ति और डीजी सेट का उपयोग

31. परियोजना प्राधिकरण निर्माण चरण से ही डिस्कॉम से नियमित बिजली आपूर्ति प्राप्त करेगा;

32. परिचालन चरण - आपातकालीन उपयोग के अलावा डीजी सेट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बिजली की सामान्य मांग को डिस्कॉम से बिजली आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

33. बैकअप पावर - डीजी सेट का उपयोग केवल आउटेज की अवधि के लिए बैकअप बिजली आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि डिस्कॉम से अपेक्षित लोड का नियमित बिजली कनेक्शन प्राप्त किया गया हो।

34. डीजी सेटों की अवस्थिति, निकास पाइप की ऊंचाई सीपीसीबी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगी और उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

झ. अधिकार या कब्ज़ा प्रमाणपत्र जारी करना या कब्ज़ा सौंपना -

35. स्थानीय प्राधिकरण समापन प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा जो कि घटक यूनिटों के मालिकों को कब्जे की अनुमति देता है जब तक कि परियोजना प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों का पालन नहीं किया है:

i. वर्षा जल संचयन (इस अधिसूचना का विनियम 5-9)

ii. अपशिष्ट जल का शोधन, पुनर्चक्रण और पुन-उपयोग : (इस अधिसूचना का विनियम 10-19)

iii. मल शोधन (इस अधिसूचना का विनियम 20-21)

iv. पौधरोपण और हरित आवरण (इस अधिसूचना का विनियम 22)

v. विद्युत आपूर्ति और डीजीसेट का उपयोग (इस अधिसूचना का विनियम 30-33)

36. संबंधित प्राधिकरण कोई आधिपत्य प्रमाणपत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज जारी नहीं करेगा जो इसके उपयोग के लिए परिसर या उसके किसी भी इकाई भाग के कब्जे को सौंपना स्पष्ट करता है और न ही

ऐसे परिसर का कब्जा सौंपेगा, जब तक कि निम्नलिखित विनियमों का पालन नहीं किया गया है और परिचालन में है:

i. वर्षा जल संचयन (इस अधिसूचना का विनियम 5-9)

ii. अपशिष्ट जल का शोधन, पुनर्चक्रण और पुन-उपयोग : (इस अधिसूचना का विनियम 10-19)

iii. मल शोधन (इस अधिसूचना का विनियम 20-21)

iv. पौधरोपण और हरित आवरण (इस अधिसूचना का विनियम 22)

v. विद्युत आपूर्ति और डीजीसेट का उपयोग (इस अधिसूचना का विनियम 30-33)

ञ. प्राधिकरण के अंतर्गत परियोजना पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ

(20,000 वर्गमीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए)

37. निर्माण एवं संचालन चरण के दौरान इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकरण द्वारा परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारी के साथ एक परियोजना पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण के अवसंरचना से संबंधित रिकार्ड भी रखेगा।

ट. प्रासंगिक विनियम/नियम

38. समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित विनियम लागू होंगे :

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन,

(2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन ।

(3) खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन ।

(4) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और उसके पश्चात् के संशोधन।

(5) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके पश्चात् के संशोधन।

(6) निर्माण और विध्वंस नियम, 2016 और निर्माण और विध्वंस गतिविधियों [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 94(ई)] के लिए धूल उपशमन उपाय;

(7) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016

6. घोषणा और अनुपालन निगरानी:

38. केंद्र सरकार की निर्दिष्ट वेबसाइट (www.parivesh.nic.in) पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में परियोजना विवरण के साथ पर्यावरण विनियमन की शर्तों का पालन करने के लिए 'स्व–घोषणा' शपथ और पर्यावरण प्रबंधन योजना ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। इसके पश्चात्, की गई घोषणा की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले परियोजना प्रस्तावक को एक पावती जारी की जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक निम्नलिखित मापदंडों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार को प्रत्येक वर्ष निर्माण अवधि के दौरान और परिचालन फेज के दौरान प्रत्येक दो वर्ष में (5 वर्ष, यदि बिल्डिंग एमएनआरई के 'गृह' दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित की गयी है) पर्यावरणीय विनियमों और लागू मापदण्डों के लिए परियोजना के निष्पादन डाटा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:-

(क) कार्य स्थल पर जल उपयोग और उत्पन्न अपशिष्ट, शोधित और पुन: उपयोग किया गया जल।

(ख) कार्य स्थल पर अपशिष्ट को पृथक और शोधित किया गया

(ग) वृक्षारोपण और अनुरक्षण

(घ) भू-जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन

40. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण इन विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और इन विनियमों के गैर-अनुपालन को मंत्रालय को सूचित करने के लिए अधिकृत हैं।

[फा. सं. 19-103/2021-आईए.III]

तन्मय कुमार, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 25th February, 2022

S.O. 861(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - ragavan.p@gov.in or gupta.dharmendra@gov.in

Draft Notification

WHEREAS, Ministry had constituted an Expert Committee vide Office Order No. 19-04/2021-IA.III dated 29.01.2021 to examine and recommend regulations for building construction and township projects;

AND WHEREAS, the said Expert Committee inter-alia examined the existing local bye-laws of states along with existing regulatory regime for granting Environment Clearance and submitted a report on the proposed regulation for environment protection.

AND WHEREAS, for the purposes of effective environment protection and management, it is considered necessary to put in place Standardized, Outcome based & quantifiable environmental regulations so as to bring in transparency in approach & encourage ease of doing business;

AND WHEREAS, it is also considered necessary to expand the monitoring mechanism through third party audits, encouraging green certifications and leveraging on the presence of regulatory agencies at different levels of governance while retaining the overall superintendence of regulatory framework with the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 & sub-section (3) of Section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the following regulations for building construction projects: -

1. Short title and commencement:-

i. These regulations may be called as **Building Construction Environment Management Regulations, 2022**

ii. The regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - In this notification, unless the context otherwise requires, the terms are defined as follows:

1. Black Water – Grey water, mixed with faecal and urinal contamination.

2. Building - A structure constructed with any material whatsoever for the purpose of being used for human habitation, professional use etc. except industrial building and hazardous building.
3. Grey Water – Waste water generated in households or office buildings from streams without faecal and urinal contamination.
4. Hazardous Building- Includes a building or part thereof used for;

i. Storage, handling, manufacture of processing of radioactive substances or highly combustible or explosive materials or of products which are liable to burn with extreme rapidity and/or producing poisonous fumes or explosive emanations.

ii. Storage, handling, manufacture or processing of which involves highly corrosive, toxic or noxious alkalis, acids, or other liquids, gases or chemicals producing flame, fumes and explosive mixtures etc. or which result in division of matter into fine particles capable of spontaneous ignition.

5. Industrial Building- Includes a building or part thereof wherein products or material are fabricated, assembled or processed, such as assembly plants, laboratories, power plants, refineries, gas plants, mills, dairies and factories etc.
6. Project Authority – An entity, by whatever name called, responsible for construction, management, maintenance of the project including the Resident Welfare Association to whom the project has been entrusted for maintenance & upkeep during operational phase.
7. Rainfall Run-off Volume: As defined in Indian Green Building Council (IGBC) Green Homes Rating System - Version 3.0, 2019.
8. Tertiary Treatment- Waste water treatment process used to disinfect water that has already been treated by primary and/or secondary processes for removing harmful material so as to produce high quality, usable water.
9. Waste Water – Used water from any combination of domestic, commercial, industrial or agricultural activities, surface runoff or storm water & any sewer inflow or sewer infiltration & includes grey water & black water.

3. Applicability of the Regulation

(1) The Regulation shall be applicable for projects involving construction of buildings, having built up area ≥ 5000 sq.mts.

(2) These Regulations shall be applicable to new building projects and expansion/renovation/repair of old /existing buildings.

(3) These Regulations do not substitute approvals/consent/permissions etc., required to be obtained under any other Act/Rule/regulation/bye-laws/notification etc. The Project Authority shall continue to be under obligation to obtain approvals/clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes of the Central or State Govt. or their designated agencies/Development Authority/Local Bodies as applicable to the project including in respect of site location for parameters such as low lying area, natural drainage, and for environment sensitivity i.e. proximity/within Eco Sensitive Area, Zonal Master Plan/Wildlife Sanctuary/National Park, Coastal Regulation Zone areas, Biosphere Reserves and Critically Polluted Area, hill areas, disaster prone areas.

(4) In case of any inconsistency with any other regulations, byelaws, etc., the provisions that are more stringent shall apply.

4. Leveraging on existing or common infrastructure:

(1) Subject to the project authority remaining accountable for compliance of regulations, stipulated in respective cases, the projects are permitted to leverage on the existing or common infrastructure available for select purposes. However, if for whatsoever reasons, attributable to the said project authority or otherwise, the said arrangement fails or results in breach of any of the regulations notified herein, the project authority shall be considered liable for breach of the regulations.

i. **Sewage Treatment Plant:** The project authority may enter into contractual agreement so as to avail services of common STP for treatment of waste water, provided that such arrangement should ensure putting in place recycling system of treated wastewater back to respective buildings for reuse along with necessary infrastructure of sewerage network (trunk sewer, pumping station etc.) for transporting waste water to STP. Proper metering system for quantification of untreated and treated wastewater should be ensured for such facilities.

ii. **Solid Waste Management:** Subject to the applicability of the Solid Waste Management Rules, 2016 and subsequent amendments thereafter, the project authority may hand over the segregated solid waste to concerned local body if the municipality has garbage pick-up mechanism in place. If such arrangement is inadequate or unavailable, the project authority shall engage professional waste management organisation to pick up the segregated solid waste.

5. Environmental Regulations for Building Construction:

(1)The project authority shall ensure that the following Environmental regulations are complied with during construction and operational phases of the project:

A. **Topography & Natural Drainage**

1. Natural drainage system at site should be maintained for ensuring unrestricted flow of water.
2. No construction is allowed on wetland and water bodies.
3. Drainage in and around site should be managed as per the CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems, 2019.
4. Soil erosion control measures should be taken before, during and after construction and conform to best management practices highlighted in the National Building Code (NBC) of India, 2016

B. **Adoption of Water Conservation methods by employing Rain Water Harvesting/Ground Water Recharge**

5. No ground water shall be used during construction phase of the project except with prior approval of the Central Ground Water Authority.
6. In areas where ground water recharge is not feasible, rain water should be harvested and stored for reuse as per local bye-laws provisions on rainwater harvesting. If local bye-law provisions are not available, provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Housing and Urban Development Model Building Bye-laws, 2016.
7. Roof top and non-roof rain water harvesting plan shall be designed & implemented to capture at least 'one-day rainfall runoff volume' from roof and non-roof areas in a manner that prevents possible contamination of ground water.

One-day rainfall can be derived from 'percentage of average peak month rainfall' as given in table below:

Table 1 - Criteria to arrive at 'One-day Rainfall'

Sl. No.	Average Peak month	One day Rainfall (% of average peak month rainfall)
1.	Up to 250	9%
2.	251-350	7.5%
3.	351-500	6%
4.	501-700	4.5%
5.	701 & above	3%

(Reference: IGBC Green Homes Rating System - Version 3.0, 2019)

Note: To estimate the average peak month rainfall, consider the average of at least last 5 years peak month rainfall of the project location.

8. The storage capacity of rainwater harvested should be a minimum of one day of total fresh water requirement.
9. Minimum 20% of the open spaces shall be pervious. Use of grass pavers, paver blocks with at least 50% opening would also be considered as pervious surface.

C. Management of sewage/waste water, Reuse and recycle of treated wastewater by dual plumbing system

10. Dual Plumbing System shall be implemented - one for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc. and another for supply of treated water for flushing.

11. Only treated water shall be used for flushing.

12. In no case, sewage or untreated waste water generated within the project area shall be discharged through storm water drains or otherwise into water bodies nor discharged/injected into the ground water by any mode.

13. Subject to Clause (3) of this notification, the project authority may opt or avail to common off-site treatment facility, as feasible, for treatment with reuse & recycle of corresponding quantity of treated water through the dual plumbing system for flushing and other non-potable use.

A. **For projects with built up area of 5,000 sq.mtrs. to 20,000 sq.mtrs. –**

i. *In areas where there is no municipal sewage network,*

a. *Either Onsite Sewage Treatment Systems with capacity to treat 100% waste water may be installed with appropriate tertiary treatment system with disinfection for black & grey water. Such treated water should be used with dual plumbing system for flushing and other non-potable use;*

OR

b. *In case of usage of septic tank, only black water shall be discharged in the septic tank. Grey water may be treated through natural treatment systems or other secondary treatment as feasible. Such treated water should be used with dual plumbing system for flushing and other non-potable use;*

The excess treated water should conform to the general discharge norms of CPCB/MoEF&CC.

ii. *In areas where there is municipal sewage network,*

a. *Either Onsite Sewage Treatment Systems with capacity to treat 100% waste water may be installed with appropriate tertiary treatment system with disinfection for black & grey water. Such treated water should be used with dual plumbing system for flushing and other non-potable use;*

OR

b. *The project authority may opt to discharge only black water in such municipal sewage network subject to availability of trunk sewer line. For this purpose, two separate pipeline network– one for black water discharge and other for collection of grey water shall be installed. Grey water may be treated through natural treatment systems or other secondary treatment as feasible. Such treated water should be used with dual plumbing system for flushing and other non-potable use;*

B. **For projects involving built-up area of 20,000 sq. mts. or more –**

14. Subject to Clause (3) of this notification, Onsite Sewage Treatment Plant with capacity to treat 100% waste water generated within the project area through tertiary treatment shall be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, HVAC, fire-fighting, and other end-uses.

15. The adequacy of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the authorized agency.

16. Discharge of excess treated wastewater outside the premises, after treatment in STP, should meet the discharge standards as notified by CPCB/MoEF&CC from time to time.

17. Wastewater and treated water quantification system through metering/sub-metering shall be installed.

18. Sludge from the onsite sewage treatment shall be collected, conveyed and disposed as per the Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual, Ministry of Housing and Urban Affair, on Sewerage and Sewage Treatment Systems.

19. Where Common Sewage Treatment Plan facility has been availed, it shall be ensured that treated waste water is recycled back to respective building for reuse.

D. Solid Waste Management

20. Subject to Clause (3) of this notification, onsite solid waste management facility should be developed and a formal contractual arrangement shall be ensured with authorized recyclers/concerned municipal agency for disposal of all non-biodegradable waste.

21. Subject to Clause (3) of this notification, where there is no alternate arrangement for disposal of bio-degradable waste, Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 1.0 kg/150 sqm. of built-up area/day shall be installed & operated.

E. Green Cover

22. A minimum of 1 tree for every 80 sqm. of land should be planted and maintained so as to ensure at least 10% of plot area under tree cover. The existing trees will be counted for this purpose.

23. Topsoil should be stripped only upto a maximum depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

F. Management of Dust/Air and Noise Pollution during Construction phase

24. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/wind breaking walls all around the site (at least 3-meter height).

25. Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

26. Wheel washing for the vehicles should be done. (For projects with built up area of more than 20,000 sq.mtrs.)

27. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

28. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

29. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed.

30. Noise monitoring shall be carried as per the prescribed guidelines to assess incremental pollution loads. Adequate measures shall be made to reduce noise level during construction and operation phase to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

G. Power Supply &Use of DG Sets

31. The project authority shall obtain Regular power supply from DISCOMS from the construction phase itself;

32. Operational Phase – Use of DG set shall not be permitted except for emergency use. Normal power demand must be met through power supply from DISCOM.

33. Backup power – DG set may be used for backup power supply only for period of outage, provided regular power connection of requisite load has been obtained from DISCOM.

34. The DG sets location, exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms and emissions should meet prescribed standards.

H. Issuance of Occupancy or Possession Certificate or Handing over possession –

35. The Local Authority shall not issue Completion Certificate or Occupancy Certificate or any other document that allows possession to the owners of constituent units unless the project authority has complied with the following regulations:

i. Rain water Harvesting (Regulation 5-9 of this notification).

ii. Treatment, Recycle & Reuse of Waste Water: (Regulation 10-19 of this notification).

iii. Sewage Treatment (Regulation 20-21 of this notification).

iv. Plantation & Green Cover (Regulation 22 of this notification).

v. Power supply & use of DG sets (Regulation 30-33 of this notification).

36. The concerned authority shall neither issue any Possession Certificate or Occupancy Certificate or any other document that signifies handing over possession of premise or any unit part thereof for its use nor shall hand over possession of such premise, unless the following regulations have been complied & are operational –

i. Rain water Harvesting (Regulation 5-9 of this notification).

ii. Treatment, Recycle & Reuse of Waste Water: (Regulation 10-19 of this notification).

iii. Sewage Treatment (Regulation 20-21 of this notification).

iv. Plantation & Green Cover (Regulation 22 of this notification).

v. Power supply & use of DG sets (Regulation 30-33 of this notification).

I. Project Environment Management Cell within Project authority.

(For projects with built-up area above 20,000 sq.mts.)

37. A Project Environment Management Cell with defined functions and responsibility shall be put in place by the project authority to ensure compliance of these regulations during construction & operation phase. The environment management cell shall also keep the record of environment monitoring and those related to the environment infrastructure.

J. Relevant Regulations/Rules

38. The following regulations, as amended from time to time, shall apply:

(1) The Solid Waste Management Rules, 2016 and subsequent amendments thereafter.

(2) The Plastics Waste Management Rules, 2016, and subsequent amendments thereafter.

(3) Hazardous & Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and subsequent amendments thereafter.

(4) Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and subsequent amendments thereafter.

(5) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and subsequent amendment thereafter.

(6) The Construction & Demolition Rules, 2016 & Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities [Notification No. GSR 94(E) dated 25.01.2018 of MoEF&CC].

(7) National Building Code (NBC) of India 2016.

6. Declaration & Compliance Monitoring:

38. A 'Self declaration' undertaking to comply with the environmental regulations' conditions along with the project details, in prescribed format and the Environment Management Plan shall be submitted online by the project proponent on the designated website of the Central Government (www.parivesh.nic.in). Thereafter, an acknowledgement shall be issued to the project proponent confirming receipt of the declaration made.

39. The project proponent shall submit Performance Data and Certificate of Compliance of the project for the environmental regulations and the parameters applicable, every year during the period of construction and every two years during operational phase (5 years in case the building has been certified as Green building in terms of GRIHA guidelines of MNRE) to the Government with special focus on the following parameters:-

(a) Water use and waste water generated, treated and reused on site.

(b) Waste Segregated and Treated on site.

(c) Tree plantation and maintenance

(d) Ground Water Recharge & Rain Water Harvesting

40. The Regional Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change or the State Pollution Control Board or the local authority are authorized to monitor the implementation of these Regulations, report non-compliance of these regulations to the Ministry.

[F. No. 19-103/2021-IA.III]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.28 22:46:01 +05'30'